



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1544 वर्ष 2026

रामलाल तथा 2 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार शुक्ला, रीता शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं० 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना।
2. याचीगण ने निम्न अनुरोधों के साथ वर्तमान याचिका अधिमानित किया है:-
 - (i) अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री दिनांक 10.05.1985 के अनुसरण में गांव इनारगांव, तालुका कौंध, तहसील जानपुर जिला संतरविदास नगर (भदोही) में स्थित भूखण्ड पुराना नम्बर 1771 नया नम्बर 776 क्षेत्रफल 5 बीघा, 2 बिस्वा, 12 धुर पर प्रविष्टि को ठीक करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निदेशित करते हुए परमादेश के प्रकृतिमें रिट, आदेश का निदेश जारी किया जाय।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची सं० 1 तथा 2 के पिता तथा याची सं० 3 के पति द्वारा दाखिल सिविल वाद सं० 59 वर्ष 1983 में जिसे मुन्सिफ, भदोही जानपुर जिला वाराणसी के निर्णय तथा डिक्री दिनांक 10.05.1985 द्वारा इसके पक्ष में डिक्री किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक गांव के राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्व अधिकारीगण उ०प्र० भूराजस्व संहिता 2006 की धारा 31 तथा उ०प्र० भूराजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 27 के उपनियम 2 के प्रावधानों के दृष्टिगत कर्तव्यबद्ध है लेकिन वर्तमान मामले में, याची सं० 1 तथा 2 के पिता तथा याची सं० 3 के पति के पक्ष में पारित डिक्री के बावजूद, आज की तिथि तक याचीगण का नाम निर्णय तथा डिक्री दिनांक 10-05-1985 के अनुसार राजस्व, अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं किया गया है।
4. जब इस न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या राजस्व अधिकारियों के समक्ष इस प्रकार का कोई आवेदन याचीगण द्वारा दाखिल किया गया है या नहीं, प्रत्यर्थी सं० 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह ने रिट याचिका के पैरा 17 पर भरोसा रखा है जो निम्नवत् पठित है:-
 17. यह कि याचीगण देहाती व्यक्ति है जिसे कानून की जानकारी नहीं है इस प्रकार इन लोगों ने पहले राजस्व न्यायालय के समक्ष अपने नामों को दर्ज कराने हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है मात्र इन लोगों ने अपना नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन दाखिल किया था जिसे इस कारण ग्रहण नहीं किया गया था कि राजस्व अभिलेखों में तालाब की गलत प्रविष्टियाँ हैं।
5. पूर्वोक्त के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि निर्णय तथा डिक्री दिनांक 10-05-1985 के अनुसार याचीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने हेतु इस प्रकार का कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।
6. इस मामले के दृष्टिगत, याचीगण को इस प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है जैसा मांगा गया है, रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"